निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 588/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गिरधारी लाल पुत्र श्री रेखाराम, निवासी ग्राम धोद, जिला सीकर हाल निवासी ग्राम नांगल भरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक चौमूं, जिला जयपुर।
2. मंजू देवी पुत्री महादेव पत्नी अर्जुन जाति बलाई, निवासी ग्राम राजारामपुरा(नांगल पुरोहित) तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. अजय कुमार पुत्र शोभरनलाल मेघवाल, जाति बलाई, निवासी सेक्टर 12, हनुमानगढ़।
4. आचुकी पुत्री नंछूराम नाबालिक जरिये संरक्षिका माता ग्यारसी देवी पत्नी स्व. नन्छूराम,
5. किरण पुत्री सेडू,
6. चंद्रकांत पुत्र गोपाल दास,
7. दूली देवी पत्नी महादेव (मृतक),
8. बन्या पुत्र रामसुख,
9. बलेसरी पुत्री नन्छूराम जरिये संरक्षिका माता ग्यारसी देवी पत्नी स्व. नन्छूराम,
10. बाबूलाल पुत्र सेडू,
11. भोजराज पुत्र महादेव,
12. मुक्तिलाल पुत्र नन्छू,
13. मुरलीधर पुत्र महादेव,

    समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम नांगल भरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. महेन्द्र पुत्र प्रहलाद, जाति बलाई, निवासी भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
15. मोहन पुत्र घीसा जाति बलाई, निवासी ग्राम बिलौंची, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
16. रणजीत पुत्र नारायण जाति बलाई, निवासी ग्राम दत्तावता, जयपुर।
17. रतिराम पुत्र नन्छूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता ग्यारसी देवी पत्नी स्व. नन्छूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम नांगल भरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. विमला देवी पत्नी कन्हैया लाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
19. सुखदेव पुत्र पांच्या,
20. सज्या देवी पत्नी सेडू,
21. झाबरमल पुत्र सेडू,
22. जितेन्द्र पुत्र सेडू,

    समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम नांगल भरड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेजरोली, उप तहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
24. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
25. उप पंजीयक, खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
26. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, नांगल भरड़ा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्ध सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक चौमूं, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 111/2025 ब–उनवानी मंजू देवी बनाम गिरधारी लाल व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश प्रजापति, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री महावीर जिन्दल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर, जयपुर जयपुर जिला

निर्णय दिनांक 05.02.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक चौमूं, जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 111/2025 ब–उनवानी मंजू देवी बनाम गिरधारी लाल व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक चौमूं, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री महावीर जिन्दल अधिवक्ता ने वकातलनामा प्रस्तुत किया है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त उनवानी प्रकरण अंतर्गत आदेश 9 नियम 7, 13, सपठित धारा 151 सीपीसी का विचाराधीन है। प्रकरण में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 12 मंजू देवी के द्वारा मिन प्रार्थी/अप्रार्थी/वादी को धमकी दे रही है कि पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेकर प्रार्थिया/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत वाद में पारित अंतिम डिक्री दिनांक 19.12.2024 को निरस्त करवा लेगी एवं अपने राजनैतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव का दुरूपयोग कर अपनी मनमर्जी अनुसार निर्णीत करवा लेगी, जिसमें तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अतः प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा नहीं रही है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।
5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक चौमूं, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक चौमूं, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner